न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 58 / 2022

उनवान

1. लाडू पुत्र सालमा
2. शोभा पुत्र सालमा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम धोलादांता न्यारा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र सुवालाल जाति सरगरा
2. गंगा,
3. गांधी पुत्री रायमल जाति गुर्जर,
4. रामदेव पुत्र रायमल जाति गुर्जर समस्त निवासीगण न्यारा तहसील नसीराबाद
5. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर,
5 व 6 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.7.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के चौसाला खसरा नम्बर 2015 रकबा 6—10—0 के वंर्किग खसरा नम्बर 2354 रकबा 5—6—0 व 2355 रकबा 1—4—0 के हाल खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.34, 1898 रकबा 0.52 व 1901 रकबा 0.19 की आराजी तत्कालीन खातेदार रायमल पुत्र स्वरूपा के द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1977 को वादीगण लाडू व शोभा पुत्र सालमा को विक्रय कर कब्जा वादीगण को संभला दिया था। विक्रेता रायमल की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा बेनामा की रूह से वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी, जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] टिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को समुचित अवसर [illegible] नहीं करने के कारण जवाब प्रतिवादी बंद किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में [illegible] नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागणव राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम न्यारा के चौसाला खसरा नम्बर वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के चौसाला खसरा नम्बर 2015 रकबा 6–10 की आराजी रायमल पुत्र स्वरूपा के द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1977 को वादीगण लाडू व शोभा पुत्र सालमा को विक्रय की थी। वादीगण द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 2015 की जमाबंदी पेश नही की है जिससे सिद्व नही होता है कि विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा विक्रता के नाम ही खातेदारी दर्ज थी। चौसाला खसरा नम्बर 2015 के वंर्किग खसरा नम्बर 2354 रकबा 5–6–0 व 2355 रकबा 1–4–0 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 2355/1 रकबा 1–4–0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 365 में विक्रेता रायमल पुत्र सरूपा के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी, जो कि नामान्तकरण संख्या 172 दिनांक 10.06.1992 से खातेदारी दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 2355/2 रकबा 3–14–0 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक खातें में दर्ज है।अन्य वंर्किग खसरा नम्बर 2354 रकबा 5–6–0 वंर्किग जमाबंदी में सिवायचक खातें में दर्ज था, जो नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 07.06. 1995 से रामप्रसाद पुत्र सुवालाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुआ। मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.34, 1898 रकबा 0.52 व 1901 रकबा 0.19 बने है जिसमें से खसरा नम्बर 1897 व 1898 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 1901 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नम्बर 2355 के हाल खसरा नम्बर 1901 रकबा 0.19 की आराजी ही वादीगण की कयशुदा है। वंर्किग खसरा नम्बर 2354 व चौसाला खसरा नम्बर 2015 विक्रय दिनांक अथवा बाद के राजस्व अभिलेख में विक्रता/पूर्वज के नाम दर्ज नही है। वंर्किग खसरा नम्बर 2355 विक्रेता के नाम विक्रय दिनांक को गेर खातेदारी में दर्ज था किन्तु बाद में विक्रेता को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज है। अजमेर जिले में भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से उक्त आराजी विक्रेतागण को नियमन की गयी। विक्रेता को आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विक्रेता द्वारा भूमि का बैचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीगण को कर दिया है। पूर्व में किया गया बैचान पंजीबद्व होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई जवाब साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 1901 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से खसरा नम्बर 1901 की हद तक वाद के कथनों की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण खसरा नम्बर 1901 रकबा 0.19 की आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम न्यारा के हाल खसरा नमबर 1901 रकबा 0.19 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे।पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लाडू बनाम रामप्रसाद

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 58/2022
पेश करने की दिनांक – 10.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व गोरधन गुर्जर राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम न्यारा के हाल खसरा नमबर 1901 रकबा 0.19 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे।पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह 7 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested